भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश

मजबूत संगठन, नई सरकार

भाषण चर्चा हेतु प्रमुख मुद्दे

■ राष्ट्रीय मुद्दे

भ्रष्टाचार

कांग्रेस – यूपीए–2 की यह सरकार आज भ्रष्टाचार एवं घोटालों में इतनी फंसी है कि कांग्रेसी नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है और उसके सहयोगी दल भी आज उसका बचाव करने में असमर्थ हैं। चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो, कोलगेट घोटाला, टूजी स्पैक्ट्रम घोटाला, यूरिया आयात घोटाला हो, किसानों की कर्जा माफी में घोटाला हो या रेल मंत्री द्वारा रिश्वत लेकर नियुक्ति का घोटाला हो, केन्द्र की यह कांग्रेस सरकार रोज घोटाले पर घोटाले कर रही है।

महंगाई

महंगाई की मार से आज हर आदमी परेशान है। यूपीए–2 के राज में महंगाई ने सारे रिकार्ड तोड़े हैं। देश का गरीब एवं मध्यम वर्ग आज महंगाई की मार से त्रस्त है। आम आदमी की जरूरत की चीजें आटा, दाल, चीनी, चावल, चायपत्ती, दूध एवं पेट्रोल, डीजल के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। सीमेंट, लोहा, लकड़ी एवं बिल्डिंग मैटेरियल के दाम बढ़ने से गरीब और आम आदमी का अपना आशियाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से परिवहन व्यवस्था भी महंगी हुई है। 'कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ' का नारा देने वाली इस सरकार ने गरीब की जेब पर डाका डाला है।

- पिछले 2 वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई हैं।

- पिछले 4 वर्षों में महंगाई दोहरे अंकों में रही, जिसके कारण सभी वर्ग प्रभावित हुए।

हाल ही में फलों और सब्जियों की कीमतों में बेहताशा वृद्धि के कारण 58 प्रतिशत मध्यवर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवारों ने अपनी रसोई के बजट को संतुलित रखने के लिये रेडीमेड भोजन लेना शुरू कर दिया है। यह खुलासा एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने किया है।

इस सर्वे में यह कहा गया है कि जनसाधारण का औसत वेतन पिछले 3 वर्षों में 10 से 15 प्रतिशत बढ़ा है, किन्तु सब्जियों की कीमतें 250 से 300 प्रतिशत बढ़ी हैं। एसोचेम ने यह कहा है कि इस महंगाई के कारण 88 प्रतिशत मध्य आय वर्ग और निम्न आय वर्ग अपने घरों के बजट को संतुलित रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

आतंकवाद

केन्द्र सरकार की ढीली एवं तुष्टिकरण की नीतियों के कारण आज आतंकवाद दोबारा देश में बढ़ रहा है। कांग्रेस के राज में आतंकवाद का भी साम्प्रदायिकरण कर दिया गया है। देश का गृहमंत्री जब भगवा आतंकवाद के नाम पर राष्ट्रवादी संगठनों पर उंगली उठाता है और देश की जनता जब इसका विरोध करती है तो वह अपने बयान पर खेद व्यक्त कर अपना पल्ला झाड़ लेता है। विभिन्न सरकारी जांच एजेंसियों का कामकाज कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थों से प्रभावित हो रहा है।

यूपीए सरकार की विफलताएं

यूपीए–2 की यह सरकार आज हर मोर्चे पर विफल हुई है। महंगाई रोक नहीं पा रही, कानून–व्यवस्था का बुरा हाल है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, देश की सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है, एफडीआई के नाम पर विदेशी कम्पनियों को लाकर देश के व्यापारियों का भविष्य चौपट किया जा रहा है। सरकार

की विफलताओं के कारण ही ज्यादातर सहयोगी दल यूपीए–2 से नाता तोड़–तोड़कर जा रहे हैं।

आर्थिक व्यवस्था चौपट

देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है। चार–चार अर्थशास्त्रियों की अगुवाई में चल रही, इस यूपीए–2 की सरकार में रूपए की कीमत बहुत गिरी है। विदेशी ऋण दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। डॉलर के मुकाबले रूपए का अवमूल्यन होने से आयात–निर्यात पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है।

सीमाओं पर बढ़ता तनाव एवं घुसपैठ

देश की सीमाएं आज चारों तरफ से सुरक्षित नहीं है। एक तरफ से चीन, दूसरी तरफ से बंगलादेश और पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करके देश में आतंकवाद, नशीले पदार्थ, नकली मुद्रा के माध्यम से हमारे देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

■ दिल्ली के मुद्दे

बिजली

बिजली का निजीकरण इसलिए किया गया था कि 24 घंटे सस्ती बिजली मिलेगी, किन्तु पिछले एक साल में बिजली के दाम 67 प्रतिशत बढ़ गए हैं। बिजली कम्पनियों, डीईआरसी और दिल्ली सरकार में सांठ–गांठ होने के कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भाजपा का मानना है कि यदि इन बिजली कम्पनियों में मोबाइल कम्पनियों की तरह प्रतियोगिता हो, सीएजी ऑडिट हो, बिजली का उत्पादन दिल्ली में हो एवं कुछ और अन्य कदम उठाए जाएं तो बिजली के दाम 30 प्रतिशत तक कम किए जा सकते हैं।

- निजी कंपनियों द्वारा लगाये गये मीटरों से तीन गुना अधिक बिजली बिल आ रहे हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं को 2000 करोड़ रूपये अधिक चुकाना पड़ रहा है।
- दिल्ली के नागरिकों को प्रत्येक वर्ष बिजली की दरों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा क्योंकि डीईआरसी ने पिछले वर्षों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दावा की गई हानियों की प्रतिपूर्ति उपभोक्ताओं से करने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी हानि की प्रतिपूर्ति के लिये 80 प्रतिशत तक वृद्धि की मांग की है।
- दिल्ली में फिक्स चार्ज के मद में घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव किया जाता है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिये बिजली की दरें 24 प्रतिशत बढ़ी है जबकि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिये यह वृद्धि 20 प्रतिशत ही है, जो अनुचित है।
- बिजली की दरों में नये स्लैब के अधीन यदि आपकी मासिक खपत 200 यूनिट से अधिक है तो आपसे पूरी खपत के लिये 4.80 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिल वसूला जायेगा। जबकि इससे पूर्व प्रथम 200 यूनिट और उसके बाद के 200 यूनिटों के लिये अलग–अलग दरें थीं।
- बिजली की दरों में वृद्धि के कारण सबसे अधिक मध्यवर्ग को नुकसान हुआ है क्योंकि दिल्ली के एक औसत घर में 200 से 400 यूनिट प्रतिमाह बिजली की खपत होती है।
- निजीकरण के समय उपभोक्ताओं को यह वादा किया गया था कि वर्ष 2005 तक उन्हें बिजली प्रदाय कंपनियों में से किसी को भी चुनने का अधिकार होगा साथ ही बिजली की दरें भी कम होंगी। किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

- निजी विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को गलत ढंग से प्रस्तुत करने पर कोई नियंत्रण नहीं है।

पानी

दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में 850 एमजीडी पानी है। या तो यह दावा झूठ है या पानी का ठीक वितरण नहीं हो पा रहा। 35 प्रतिशत दिल्ली में पानी की लाईन नहीं है। टैंकर से पानी पीने को आधी दिल्ली मजबूर है, जिस पर टैंकर माफिया का राज है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अपनी क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। मुनक नहर पर दिल्ली ने 450 करोड़ रूपए खर्च कर दिया, उससे कांग्रेस सरकार पानी नहीं ला पा रही, फिर बनाई क्यों थी?भाजपा आएगी तो वाटर मैनेजमेंट ठीक तरह से करेगी एवं पड़ोसी राज्यों से करार करेगी, नहीं तो कोर्ट का सहारा लेगी। पानी का समान वितरण पूरी दिल्ली में करेगी और पानी का निजीकरण नहीं होने देगी, क्योंकि पानी जनता की मूलभूत आवश्यकता है।

- दिल्ली के आधे भाग में दिल्ली जलबोर्ड द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जाती।
- पिछले 15 वर्षों के दौरान पानी की दरों में 1000 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- पानी की कमी के कारण दिल्ली में टैंकर माफिया पैदा हो गये हैं। दिल्ली में वर्तमान पानी की दरें मुम्बई से 9 गुना अधिक हैं।
- मुनक नहर को बनाने में अब तक 478 करोड़ रूपये खर्च हो गये हैं किन्तु इस नहर से दिल्ली को एक बूंद भी पानी नहीं मिल पाया है।
- दिल्ली में जल संशोधन संयंत्रों का प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा और यह अपनी क्षमता से 40 से 50 प्रतिशत ही काम कर रही हैं।

- वर्ष 1994 में दिल्ली में यमुना से कच्चे पानी के प्रदाय में वृद्धि करने के लिये दो बांधों के निर्माण का प्रस्ताव था। किन्तु 18 वर्ष बीतने के बाद भी और 214 करोड़ रूपये खर्च करने के बाद भी यह पूरा नहीं हो सका।
- दिल्ली के अधिकांश भाग में प्रति व्यक्ति औसतन 3.84 लीटर पानी का ही प्रदाय होता है, जबकि नियमानुसार 172 लीटर होना चाहिये।

कानून व्यवस्था एवं महिला सुरक्षा

दिल्ली में कानून–व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। महिलाएं घर से बाहर निकलने में अपने–आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है कि 'मेरी बेटी ही दिल्ली में सुरक्षित नहीं है।' तब से महिलाओं को दिल्ली की कानून–व्यवस्था के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। सीनियर सिटीजन्स की रोज हत्या हो रही हैं, चेन स्नैचिंग, लूटपाट, बलात्कार की घटनाओं से दिल्ली की जनता त्रस्त है। देश विदेश में दिल्ली की बहुत बदनामी हो रही है। विदेशी पर्यटक 40 प्रतिशत घट गया है।

- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी 2012 की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि देश की राजधानी दिल्ली बलात्कार की राजधानी भी है। भारत के 53 बड़े शहरों में हुये बलात्कार की हर पांचवीं घटना दिल्ली में हुई।
- वर्ष 2012 में देश के 13 बड़े शहरों में हुई 3025 बलात्कार की घटनाओं में से 19.34 प्रतिशत दिल्ली में हुई। पिछले वर्ष यह आंकड़ा केवल 17.6 था।
- पिछले साल दिल्ली में 408 हत्या की घटनायें हुईं जो 88 शहरों में से सबसे अधिक थीं। मुंबई में 215, चेन्नई में 180 और कलकत्ता में 85 हत्या की घटनायें हुईं।
- दिल्ली में कुछ अपराध तो 10 गुने अधिक हुये। अपहरण

की घटनाओं को ही लें, तो दिल्ली में 3,274 मामले दर्ज हुये। केवल बैंग्लोर में यह आंकड़ा 532 के मामलों का है।

- एनसीआरबी द्वारा रेखान्कित एक और आंकड़ा यह है कि दिल्ली में 20,99,170 शिकायतें लिखित या फोन पर की गईं जिसमें हेल्पलाईन 100 पर की गई शिकायतें भी सम्मिलित हैं। फिर भी केवल 60, 397 शिकायतें ही मामलों के रूप में दर्ज की गईं। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 9,43,994 का है और इनमें से 3,33,680 को शिकायत के रूप में दर्ज किया गया।

घोटालों की दिल्ली सरकार

- राष्ट्रमंडल खेल घोटाला (70 हजार करोड़)
- यमुना नदी सफाई घोटाला, लगभग 3000 करोड़
- बिजली निजीकरण में कैग ने पाया 12000 करोड़ का घोटाला
- वॉटर सीवर और सीवरेज डिस्पोजल एम्प्लॉई यूनियन ने दिल्ली जलबोर्ड के भागीरथी जलसंशोधन संयत्र (पूर्वी दिल्ली) के निजीकरण के लिये बोली लगाने की प्रक्रिया में 200 करोड़ से अधिक के घोटाले का पर्दाफाश किया।
- दिल्ली सरकार द्वारा एक एमएनसी से उंची कीमतों पर एंटीबॉयटिक दवाओं की खरीद में 10 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया।
- जाली राशन कार्ड में 257 करोड़ रूपये का घोटला।
- लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री को 2008 विधानसभा चुनाव के समय विज्ञापनों पर 11 करोड़ रूपये की सरकारी निधि का दुरूपयोग करने का दोषी पाया।
- लोकायुक्त ने मंत्री श्री राजकुमार चौहान को वाणिज्य

कर के छापे के दौरान एक प्राइवेट पार्टी को पद का दुरूपयोग कर संरक्षण देने का दोषी पाया।

- 600 करोड़ रूपये का कनॉट प्लेस सौंदर्यीकरण घोटाला।
- सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर खरीदने में 10 करोड़ रूपये का घोटाला ।
- लो–फ्लोर बस खरीदने में 130 करोड़ रूपये का घोटाला।
- 101 करोड़ रूपये का सड़क निर्माण घोटाला।
- 225 करोड़ रूपये की विदेशी लाईटें खरीदने को घोटाला।
- 31 करोड़ रूपये की स्ट्रीट लाईट घोटाला।

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल

स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय हालत के लिए कांग्रेस की सरकार दोषी है। अस्पतालों में न तो मरीजों की सही देखभाल होती है और न ही उपकरण हैं और न दवाएं परेशान होकर मरीज निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर हैं। कांग्रेस की सरकार ने कई अस्पतालों का शिलान्यास करके छोड़ रखा है, लेकिन आज तक उन अस्पतालों में एक ईंट भी नहीं लगी है।

- 1997 से 2008 के बीच 60 से 700 बेड के 10 अस्पतालों के लिये किये गये भूमि आवंटन के बाद भी कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।
- कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नई दिल्ली के अस्पतालों में आपातकालीन विभाग अपेक्षित सेवायें नहीं दे पा रहे क्योंकि उनमें आवश्यक उपकरण, दवायें और पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। साथ ही यह कहा कि अधिकांश अस्पतालों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी नहीं थी।

- मार्च 2012 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा में सीएजी ने पाया है कि दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल है। अभिलेखों की जांच करने और रोगियों से पूछतांछ करने पर यह पता चला कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और गुरूतेग बहादुर अस्पताल जैसे अस्पतालों में अनेकों बार जीवनरक्षक औषधियां उपलब्ध नहीं थीं।
- एक बड़ी कमी यह पाई गई की पांच अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी जबकि जीटीबी अस्पताल में ब्लड बैंक के लिये लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ था।
- दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि 12 नये अस्पताल बनायें जायेंगे, जिनमें 2900 बेड होंगे किन्तु एक भी पूरा नहीं हुआ। द्वारका में 750 बेड, विकासपुरी में 200 बेड, मादीपुर में 200 बेड, ज्वालापुरी में 200 बेड, अम्बेडकर नगर में 200 बेड के अस्पतालों के निर्माण के कार्य में बहुत विलंब हो चुका है।
- दिसंबर 2012 में सुश्रुत ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी के कारण चार रोगियों की मृत्यु हो गई।
- मार्च, 2013 में यह पाया गया कि 11 सरकारी अस्पतालों के पास अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है

अनधिकृत कालोनियां

दिल्ली में 1600 से अधिक अनधिकृत कालोनियां हैं, जिनमें मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। यहां तक कि सीवर लाईन भी नहीं डाली गई है। सरकार ने उनको पहले झूठे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए और अब कहती है कि कालोनियां नियमित कर दी । पर यहां न तो सुविधाएं हैं, न ऋण मिल सकता है और न रजिस्ट्री हो सकती है। 40 लाख अनधिकृत कालोनियो

के लोगों के साथ दिल्ली सरकार 15 सालों से धोखा कर रही है। यदि ठीक प्रकार से हाउसिंग स्कीम बनती तो ये अनधिकृत कालोनियां क्यों बसती ?

झुग्गी–झोंपड़ी

30 लाख से अधिक लोग झुग्गी–झोंपड़ी में रहते हैं। इनका महंगाई में जीना बड़ा मुश्किल है। बिजली के बिल इनके 600 से 1000 रूपए तक बढ़ गए हैं। जब हम सत्ता में थे तो 15 रूपए प्रति प्वाइंट के हिसाब से बिजली देते थे। 15 साल से इनके राशन कार्ड नहीं बने। महंगे गैस सिलेंडर इनको खरीदने पड़ते हैं। नालियां नहीं हैं। गंदा पानी पीने को मजबूर हैं।

गांव–देहात

दिल्ली में 360 गांव हैं। कुछ शहरीकृत और कुछ ग्रामीण। ताज्जुब यह है कि एक भी गांव में सड़क नहीं बनी है और अब चुनाव पास देख कर सड़कें बनानी आरंभ की जा रही हैं। सरकार ने गांव वालों के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा दिल्ली के सभी गांवों की सड़कों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें शहरों की सड़कों जैसा बनाएगी। सभी गांवों को एक–दूसरे गांव की सड़कों से जोड़ा जाएगा। गांव की परिवहन व्यवस्था में भारी सुधार किए जाएंगे और अधिकांश गांवों को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। भाजपा सत्ता में आएगी तो धारा 81, 65 हटाएगी। गांवों में लाल डोरा एक्सटेंशन में मिक्स लैण्ड यूज का प्रावधाना होना चाहिए, क्योंकि आज गांव वालों के पास रोजी–रोटी के साधन नहीं बचे हैं। हमने पहले कहा कि जब तक गांव में विकास न हो, तब तक उनसे हाउस टैक्स न लिया जाए। नक्शा पास कराने की छूट दी जाए। स्कूल, अस्पताल खोलने की इजाजत हो।

स्लम

10 लाख से अधिक लोग स्लम में रहते हैं। इनको मालिकाना हक दिया जाए, यह हमारी मांग है। स्लम में शौचालय का

रख–रखाव ठीक नहीं है। स्वच्छ पीने का पानी नहीं है। ज्यादातर स्लम की बुरी हालत है।

पुनर्वास कालोनी

पुनर्वास कालोनी में ज्यादातर 12 गज और 20 गज के मकान दिए गए थे। भाजपा सत्ता में आएगी तो इनको सही तरीके से मालिकाना हक देगी, ये अपनी प्रोपर्टी की सही खरीद–फरोख्त कर सकें।

स्कूली शिक्षा

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। बिना पढ़ाई बच्चों को पास किया जा रहा है और गरीब मां–बाप को धोखा दिया जा रहा है। एक–एक कक्षा में 80–80 बच्चे बैठते हैं। 12,000 टीचर्स के पद खाली है और टीचर्स को सही वेतनमान और सुविधाएं नहीं दी जा रही।

- दिल्ली सरकार ने 80 सरकारी विद्यालय बंद कर दिये, जबकि दिल्ली में जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख की वृद्धि होती है।
- विद्यालयों की मूलभूत सुविधायें नहीं के बराबर हैं।
- आरटीई नियमों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 होना चाहिये, जबकि सरकारी विद्यालयों में 1:80–100 है।
- भाजपा द्वारा किये गये सर्वेक्षण तथा एक बड़े एनजीओ द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न है।
- शिक्षक जिस हालात में काम करते हैं वह भी बहुत चिंताजनक है, छठे वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया है, 30 प्रतिशत शिक्षकों से लिपिकीय और अन्य शिक्षण से भिन्न कार्य सालों भर लिये जाते हैं।

विश्वविद्यालय

दिल्ली के छात्रों के लिए बहुत कम सीटें हैं और पिछले 15 साल में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है, जिसके कारण दिल्ली के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली से बाहर महंगे, प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में शिक्षा लेनी पड़ती है। 54,000 सीटों में से दिल्ली के 10,000 छात्रों को भी दाखिला नहीं मिलता।

लोक निर्माण विभाग/सड़कें

दिल्ली सरकार ने एमसीडी से सड़कें लेकर पी.डब्ल्यू.डी. को फंड तो खूब दे दिया, लेकिन फिर भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। गांव–देहात में तो सड़क और गड्ढों में फर्क ही महसूस नहीं होता और मुख्यमंत्री दिल्ली को पेरिस बनाने का दावा करती हैं।

- दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम से 60 फीट चौड़ी कुल 673 सड़कें इस आधार पर

  ले ली, कि नगर निगम उनका उचित रख–रखाव नहीं कर पाता, किन्तु दिल्ली सरकार कुछ सुधार नहीं कर सकीं।
- मुख्यमंत्री ने फरवरी 2013 में यह वादा किया था कि 1800 करोड़ की लागत पर इन सड़कों की मरम्मत की जायेगी किन्तु मानसून में जलभराव जारी है।
- जलेबी चौक पर 12.33 करोड़ रूपये की लागत से सड़क निर्माण के कार्य की घोषणा की गई थी किन्तु यह अभी भी शुरूआती चरण में है।
- वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज की निर्माण में देरी के कारण लागत में कई सौ करोड़ रूपयों की वृद्धि हो गई।
- वर्ष 2011–12 की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार

लोकनिर्माण विभाग की न्यायोचित लागत के गलत प्राक्कलन के कारण 234 करोड़ रूपये का अनियमित कार्य करना पड़ा।

- जनवरी 2012 तक 167.10 करोड़ रूपये देने पड़े, जिसके फलस्वरूप 11.59 करोड़ रूपये का अधिक व्यय हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार विभाग द्वारा गैर कानूनी तरीके से विखंडित किये गये ठेकों के कारण 2.21 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ क्योंकि नये ठेके के अनुसार ऊंची दरों पर शेष काम करवाना पड़ा।

परिवहन व्यवस्था

दिल्ली में 11,000 बसों की जरूरत है, लेकिन दिल्ली परिवहन निगम सिर्फ 5500 बसों की ही व्यवस्था की हुई है। इससे यात्रियों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ता है।

आवासों की कमी

दिल्ली में डीडीए जिसका काम लोगों को आवास देना था, लेकिन वो इसमें बिल्कुल विफल रहा। मुख्यमंत्री ने भी चुनाव से पहले राजीव रत्न आवास योजना के नाम पर लाखों लोगों को सस्ते मकान देने का प्रलोभन दिया, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को मकान नहीं मिला।

जे जे कलस्टर

सभी झुग्गी–झोंपड़ी वासी जिनको कांग्रेस ने हमेशा अपना वोट बैंक समझा, वो आज दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे है। हजारों रूपए के बिजली के बिल जिनका भुगतान करने के लिए वे अपने गहने तक गिरवी रख रहे है, जबकि भाजपा के शासन में 15 रूपए प्वाइंट के हिसाब से 30 रूपए मे बिजली दी जाती थी। झुग्गियों में पानी की निकासी नहीं है, पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। शौचालयों की कमी है। बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों की कमी है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए

डिस्पेंसरी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने कठपुतली कालोनी, गोविन्दपुरी एवं कुसुमपुर पहाड़ी की झुग्गियों में वहीं पर मकान देने का स्वप्न दिखाकर शिलान्यास के पत्थर लगाए थे, लेकिन 5 साल बाद भी एक भी झुग्गीवासी को पक्का मकान बनाकर नहीं दिया गया।

खाद्य और सिविल सप्लाई

दिल्ली में राशन कार्डों का बनना बंद है, जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें दुकानों पर राशन नहीं मिलता, केरोसिन मुक्त दिल्ली के नाम पर न गैस कनैक्शन मिला है और न करोसिन मिल रहा है।

- दिल्ली में 15.85 लाख एपीएल (अनस्टैम्प्ड) राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर खाद्यान नहीं दिया जाता।
- 11.53 लाख स्टाम्प्ड एपीएल कार्ड धारकों में से अधिकांश की भी यही शिकायत है। प्रत्येक एपीएल कार्ड धारक प्रत्येक मास 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल का हकदार है।
- अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 1.57 लाख परिवारों में से केवल 1.1 लाख अंत्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों का पता लगाया जा सका। जिसके परिणाम स्वरूप 0.56 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिला। फायदा प्राप्त करने वाले परिवारों के लिये उपलब्ध निधि का भी उपयोग नहीं किया जा सका।
- 257 करोड़ रूपये का जाली राशन कार्ड घोटाला।
- अन्नपूर्णा योजना के अधीन अभी तक 72 लाभार्थी।
- कांग्रेस सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक लाभार्थियों का दावा किये जाने के बावजूद दिल्ली अन्नश्री योजना में 8,000 से भी कम लाभार्थी हैं।
- खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के 1100 पदों में से

आधे से अधिक खाली पड़े हैं।

- दिल्ली राज्य सिविल सप्लाई निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के निगम दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्य पर खाद्यान देने की जगह शराब की दुकानों के माध्यम से शराब बेंच रहे हैं।
- दिल्ली में 30 प्रतिशत राशन कार्ड जाली हैं। इन जाली राशन कार्डों के माध्यम से दिये गये राशन खुले बाजार में बेचे जाते हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण

- मुस्लिम समाज में गरीबी अधिक है। एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार 31 प्रतिशत मुस्लिम गरीबी रेखा के नीचे हैं।
- 2001 में मुस्लिम समाज में साक्षरता की दर 59.1 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय औसत 64.8 प्रतिशत से बहुत कम है।
- केवल 23.7 प्रतिशत मुस्लिम सरकारी नौकरियों में हैं और के 6.5 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में हैं। उर्दू दिल्ली की दूसरी राष्ट्र भाषा है किन्तु किसी भी सरकारी विभाग में उर्दू अनुवादक नहीं है। दिल्ली के उर्दू स्कूलों में कुल 90 पद हैं जिनमें से केवल 32 भरे गये हैं और शेष 52 खाली पड़े हैं। वर्ष 1998 से अब तक कोई उर्दू माध्यम का विद्यालय स्थापित नहीं हुआ है।
- वक्फ सम्पत्तियों पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। 685 वक्फ सम्पत्तियों में से 158 पर एएसआई ने अतिक्रमण किया है, तो 373 पर जनसाधारण ने अतिक्रमण किया है तथा 114 पर डीडीए द्वारा अतिक्रमण किया गया है। 26 ऐसी सम्पत्तियां विभिन्न सरकारी ऐजेंसियों के कब्जे में हैं।
- यदि वक्फ बोर्ड इनका सही प्रबंधन करती है तो मुस्लिम

समुदाय के विकास के लिये आवश्यक धन उपलब्ध हो सकता है।

- 1970 के गजट अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में 488 मुस्लिम कब्रगाह हैं। किन्तु इस समय केवल 20 से 30 कब्रगाहों का ही उपयोग हो रहा है। वास्तव में ऐसे कब्रगाहों की कमी है। आईआईएम और आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में मुस्लिम छात्रों की संख्या बहुत कम है। वर्ष 2004–05 और 2005–06 के आंकड़ों के अनुसार सभी आईआईएम पाठ्यक्रमों 1.3 प्रतिशत ही मुस्लिम छात्र थे। जहां तक आईआईटी का सवाल है, 27,161 छात्रों में से केवल 894 (3.3 प्रतिशत) मुस्लिम छात्र थे।
- मुस्लिम स्नात्तकों का बेरोजगारी दर एस.आर.सी. में सबसे अधिक है।